संख्याः-31/2026/870ई-2/तेरह-2026-473515

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग 2 लखनऊः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2026

विषयः-मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि., भोजपुर आसवनी गाजियाबाद को आलू से ई.एन.ए. उत्पादन की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-46/दो-प्रा.डी.-69/गाजियाबाद आर्गेनिक्स, दिनांक 17-09-2026 एवं इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12-10-2026 में लिए गए निर्णय संबंधी कार्यवृत्त संख्याः869ई-2/तेरह-2026-473515, दिनांक 27-10-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 17-09-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत ग्रेन एवं अन्य रॉ-मैटेरियल से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स लि., ग्राम भोजपुर, तहसील-मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद को आसवनी की पूर्व स्वीकृत क्षमता अर्थात 280 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत आलू से ई.एन.ए. उत्पादन किये जाने अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) इकाई द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्याः33/2021-810ई-2/तेरह-2021-107/2013, दिनांक 26.03.2021 में उल्लिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(2) आसवक द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से निर्गत सुसंगत अधिनियमों/नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) इकाई द्वारा किसी भी परिस्थिति में अपनी निर्धारित क्षमता अर्थात 280 लाख लीटर वार्षिक से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

(4) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5) (झ) एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (NSI) द्वारा आलू में अल्कोहल की रिकवरी का मानक निर्धारित करने के उपरान्त ही आबकारी आयुक्त द्वारा इकाई को प्लान्ट संचालन एवं आलू से ई.एन.ए. उत्पादन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

(6) इकाई द्वारा अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु प्रयुक्त फीड एवं उत्पादित अल्कोहल के अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी शासनादेश संख्याः 1069 ई-2/ तेरह-2024-1404728, दिनांक 09.12.2024 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(7) ग्रेन एवं अन्य रॉ-मैटेरियल से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु ईकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों का संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता मे गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थो की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य प्रदार्थो की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(8) इकाई द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(10) इकाई का आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुये पोर्टल की सभी अैपचारिकतायें पूर्ण की जायेगी।

(11) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(12) इकाई के मुख्य द्वार पर आने तथा जाने वाले वाहनों की नम्बर प्लेट को कैप्चर करने के लिये दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे तथा वेमेन्ट ब्रिज पर भी दो ANPR कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आसवनी में अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कैमरें स्थापित कियें जायेंगे। कैमरों तथा राडार का इन्टीग्रेशन आबकारी विभाग के पोर्टल से कराया जायेगा।

(13) आसवनी द्वारा ब्वायलर एक्ट 1923 (यथासंशोधित) में प्राविधानित सम्पूर्ण सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्पादन किया जायेगा।

(14) आसवनी में सम्पूर्ण सुरक्षा उपायों की कड़ाई से निगरानी सुनिश्चित कराने हेतु आसवनी में तैनात सहायक आबकारी आयुक्त को यथावश्यक निर्देश आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

(15) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दयाराम)
उप सचिव।

संख्याः-31/2026/870(1)ई-2/तेरह-2026-473515 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।